न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 246/प्रा0पत्र/2020

1. पुरूषोतम आयु 50 वर्ष आ0 लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी फीतापुरा, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. श्यामाबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।
2. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा0 हिण्डोली जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी – महेश नामा व पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 31/03/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 3152/239 रकबा 15 बीघा, 3153/239 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम ढाकणी पटवार मण्डल सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जानकारी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व पति लक्ष्मीनारायण जी के स्वामित्व में दर्ज थी। लक्ष्मीनारायण जी के देहांत के बाद उक्त भूमि प्रार्थी पुरूषोत्तम व प्रार्थी के भाई युवराज व माता श्यामाबाई को विरासत में प्राप्त हुई है। युवराज ने अपने हिस्से की भूमि अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया है। प्रार्थी पुरूषोत्तम के पिता लक्ष्मीनारायण जी के देहांत के बाद राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में परशुराम पिता लक्ष्मीनारायण दर्ज कर दिया जबकि लक्ष्मीनारायण जी के परशुराम नाम का कोई पुत्र नही है। प्रार्थी पुरूषोत्तम का नाम राजस्व रिकार्ड में परशुराम के रूप में दर्ज कर दिया जो उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी का नाम पुरूषोत्तम होने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के जमाबंदी में प्रार्थी का नाम परशुराम दर्ज कर दिया है। प्रार्थी के आधार कार्ड, बैक पासबुक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड आदि समस्त सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम पुरूषोत्तम पिता लक्ष्मीनारायण दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पुरूषोत्तम के स्थान पर परशुराम इन्द्राज कर दिया, उक्त इन्द्राज अवैध व निरस्तनीय है। प्रार्थी राजकीय कर्मचारी है जो बून्दी सर्किट हाउस में नौकरी करता है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि की देखभाल व काश्त की व्यवस्था माता श्यामाबाई ही करवाती है। इस कारण प्रार्थी ने भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम की जानकारी नही थी लेकिन प्रार्थी ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक 24.09.2020 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल निकलवाई तब प्रथम बार प्रार्थी को भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पुरूषोत्तम के स्थान पर परशुराम दर्ज कर देने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रार्थी को उक्त गलत नाम के इन्द्राज की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 25.09.2020 को तहसीलदार हिण्डोली के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परशुराम के स्थान पर पुरूषोत्तम शुद्व नाम दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार सा0 ने न्यायालय के आदेश के बिना उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज परशुराम पिता लक्ष्मीनारायण के स्थान पर परूषोत्तम पि0 लक्ष्मीनारायण दुरूस्त करवावे तथा परशुराम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर पुरूषोत्तम दर्ज करवावें। भूमि ग्राम ढाकणी पटवार मण्डल सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से व लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त इन्द्राज दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी पुरूषोत्तम व अप्रार्थी श्यामाबाई को अपने पिता/पति लक्ष्मीनाराण जी से विरासत में प्राप्त हुई है और श्यामाबाई उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाई गई है तथा लेण्ड होल्डर सरकार होने से सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार सा0 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 315222/239 रकबा 15 बीघा, 3153/239 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम ढाकणी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज परशुराम पि0 लक्ष्मीनारायण के स्थान पर पुरूषोत्तम पि0 लक्ष्मीनारायण दर्ज कर इन्द्राज को दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 9 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 न्यायालय से सम्बन्धित है। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार है।

अन्य आक्षेप – प्रार्थी पुरूषोत्तम मेरा पुत्र है। मेरे परशुराम नाम का कोई पुत्र नही है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में परशुराम गलत दर्ज कर दिया है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदार के कॉलम में परशुराम के स्थान पर पुरूषोत्तम दर्ज करने में मुझे कोई आपत्ति नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

कार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर परशुराम के स्थान पर पुरूषोत्तम पि0 लक्ष्मीनारायण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 2 पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 3 अस्वीकार है। स्वयं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 लगायत 7 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 कानूनी बिन्दु है। वादी की आराजी 3152/239, 3153/239 रकबा किता 2, 16.07 बीघा में संलग्न जमाबंदी में वादी का नाम परशुराम दर्ज है जबकि संलग्न आधार कार्ड, पहचान पत्र (वोटर आईडी), राशनकार्ड में स्वयं के शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम परशुराम के स्थान पर पुरूषोत्तम किये जाने में कोई आपत्ति नही हैं। जवाब सादर पेश है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम परशुराम दर्ज किया हुआ है। उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्व है जबकि प्रार्थी समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम पुरूषोतम पि0 लक्ष्मीनारायण दर्ज है। प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी ऋण प्राप्त करने व सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है। अतः प्रार्थी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज परशुराम पि0 लक्ष्मीनारायण के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर पुरूषोतम पि0 लक्ष्मीनाराण गुर्जर दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड नम्बर 7338 3834 9890 व मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/14/103/243238, बैक पासबुक एसबीआई इन्द्रा मार्केट बून्दी खाता नम्बर 51008030506, परिवार राशनकार्ड संख्या 00631 ग्राम पंचायत सथूर, भामाशाह कार्ड नम्बर BAFDQWS पेन कार्ड आयकर विभाग नम्बर AVIPD3173G, मे प्रार्थी का नाम पुरूषोतम पि0 लक्ष्मीनारायण दर्ज है, अतः मुताबिक़ दस्तावेज/प्रस्तुत जवाब (1 लगायत 2) के जमाबंदी में अंकित परशुराम के अंकन को विलोपित कर प्रार्थी का सही नाम पुरूषोतम पि0 लक्ष्मीनाराण कोम गुर्जर दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 1221 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3152/239 व खसरा संख्या 3153/239 कुल किता 2 कुल रकबा 16.07 बीघा वाके ग्राम ढाकणी पटवार मंडल सथूर में परशुराम पि0 लक्ष्मीनारायण के नाम के अंकन को विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय में पुरूषोतम ने अपना नाम परशुराम नही होने के संदर्भ में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनके आधार पर बाद जांच राजस्व रिकोर्ड में शुद्वि करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली